

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद,

30प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय: अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद के अन्तर्गत बचतों से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6814/14-(बजट)-27/2052, (राजस्व परिषद)/2016-17, दिनांक-20-03-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-52 लेखाशीर्षक -2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-03 मंहगाई भत्ता से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9में उल्लिखित धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से आहरण कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त व्यय नियमानुसार बजट मैनुअल तथा प्रशासनिक व्यय में मित्वययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत मदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जायेगा। अवशेष की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)

अनु सचिव।

संख्या-224(1)/एक-6-2017 तद्विनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, 30प्र0 इलाहाबाद (लेखा परीक्षा-1/2)
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, (लेखा) राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैन्युअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भलीभांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या का नाम: 52 राजस्व विभाग

वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें-099-राजस्व बोर्ड-03-राजस्व परिषद-03-मंहगाई भत्ता 2052-00-099-03-00-03	125627	3258	2100	2100	123527
योग-	125627	3258	2100	2100	123527
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय प्रशासन सामान्य सेवायें-099- राजस्व बोर्ड-03 राजस्व परिषद, 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद					
2052 00 099 03 00 15	6000	6836	836	836	6836
17- किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व					
2052 00 099 03 00 17	3000	3806	806	806	3806
45- अयकाश यात्रा व्यय					
2052 00 099 03 00 45	600	1058	458	458	1058
योग-	9600	11700	2100	2100	11700

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है -'

इस मद में पदों के रिक्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

उक्त मद में प्राविधानित धनराशि परिषद की आवश्यकताओं से कम है अतः परिषद की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्विनियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या : आरई 697/ई-5-189/दस-2017 दिनांक 28-03-2017

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर (गिरीश चन्द्र)
नाम व पद नाम अनु सचिव,
प्रशासकीय विभाग राजस्व विभाग

हस्ताक्षर (आनन्द कुमार राय)
नाम व पद नाम अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 224(2)/एक-6-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 अनुभाग-14-बजट लखनऊ
- 2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)

(गिरीश चन्द्र)

अनु सचिव,
राजस्व विभाग।

अनुदेश

- (1) प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से सम्बन्धित पुनर्विनियोग के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द " भारित" अंकित कर दिया जाये।
- (2) जिन लेखा शीर्षों में प्रभाव पड़ेगा, उनका वर्णन ब्योरेवार अनुमोनों और अनुदानों में दिये हुये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए ।
- (3) कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक सम्बन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुये हों, को सम्मिलित किया जाय।
- (4) प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोग की स्वीकृति दर्शायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।